न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—301/2018/223 (2018/00301)

1. जसवन्त कुमार पुत्र मोहनलाल, जाति हरिजन, निवासी ग्राम जूनिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 09.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 212/2018.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 3.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राज0काश्त0अधि0 व धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम जूनिया, तहसील केकड़ी की वर्किंग जमाबंदी के खसरा नंबर 1012/13 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 किस्म बारानी—3 स्थित है । उक्त आराजी में से 0.81 है0 भूमि आवंटित हो गयी है । उक्त आवंटन आदेश दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा वादी को आवंटित की गई जिसका इंद्राज दिनांक 15.6.1989 को वादी के नाम कर दिया गया था । वादी आवंटन के समय से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । उक्त आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नवीन आधारभूत जमाबंदी में वादी का नाम दर्ज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त वाद में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया बल्कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.5.2017 जो कि दिनांक 12.5.2017 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत हुई है । उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करते समय वादी को किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस

नहीं दिया गया । इसलिये उक्त एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री विधि प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 16.7.1987 से खसरा संख्या 1012/12 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित होकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में दर्ज चली आ रही है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा डोल है अर्थात् फसल काश्त नही होकर कच्ची डोल लगाकर कब्जा होने का उल्लेख किया गया है जिससे आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना प्रमाणित है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । वाद में जवाबदावा प्रस्तत होने के बाद विवादित बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य अभिलिखित किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुसार आज्ञापक है तथा प्रत्येक विवाद बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद के साथ वादी का आवंटन आदेश भी निरस्त कर दिया जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है जबकि आवंटन आदेश राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1957 के नियम 14 (4) के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । अधी0न्याया0 को आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद कैम्प में बिना वादी को सूचित किये निर्णित किया है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प जूनिया में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णित किया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नही हो सकी थी । प्रार्थी उक्त प्रकरण की आगामी तारीख पेशी ज्ञात करने हेतु दिनांक 16.8.2018 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हुआ तो अपीलांट को जानकारी हुई कि उक्त वाद दिनांक 9.5.2018 को राजस्व कैम्प में निर्णित कर दिया गया है । तत्पश्चात् अपीलांट ने उसी दिन निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर आक्षेपित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 1 पर आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी क्रमांक 7059–62/87 दिनांक 16.7.1987 से खसरा नंबर 1012/12 रकबा 5 बीघा भूमि अपीलांट को आवंटित होकर दर्ज है । हाल खसरा नंबर 1778 रकबा 2.54 है0 गत खसरा नंबर 1012/3 मि0 एवं 1012/12 मिन से बना है । उक्त आराजियात वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के कॉलम संख्या 1 में हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 सिवायचक दर्ज है । अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि आवंटी जसवंत कुमार का हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 में से रकबा 0.80 है0 पर कब्जा डोल है किन्तु फसल काश्त नहीं है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना

में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का वाद निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी के वर्किंग जमाबंदी के खसरा नंबर 1012/13 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 में से 0.81 है0 भूमि दिनांक 7.7.1987 को वादी/अपीलांट को आवंटित की गई थी तब से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार की ओर से जवाब पेश किया गया । उक्त जवाब में पटवारी हल्का ने यह स्पष्ट अंकित किया है कि वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 1 पर आवंटन आदेश उ0ख0/7059–62/87 दिनांक 16.7.1987 से खसरा नबंर 1012/12 रकबा 5 बीघा भूमि जसवंत कुमार पि0 मोहनलाल हरिजन के नाम आवंटित होकर दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 गत खसरा नंबर 1012/13 मिन रकबा 0.81 है0 व 1012/12 रकबा 1.73 है0 से बना है किन्तु हाल खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज है । मौके पर आवंटी जसवंत कुमार पि0 मोहनलाल का खसरा नंबर 1978 रकबा 2.54 है0 में से रकबा 0.80 है0 भूमि पर कब्जा डोल है किन्तु फसल काश्त नहीं है । मौके पर कब्जा काश्त नही होने एवं आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने से वाद निरस्त योग्य है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवंटी/अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई है न ही काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है । काश्त के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी/अपीलांट खातेदारी का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी का वाद विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपी

अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.11.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर